

**मांग संख्या 01**  
**मुख्य शीर्ष 2013**

**मद क्रमांक 1**

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मंत्रियों के दौरे के समय गाड़ियों के पेट्रोल हेतु राशि रूपये 25.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 25,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

मान. मुख्यमंत्री, मंत्रियों के द्वारा विवेकाधीन अनुदान हेतु राशि रूपये 200.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 2052**

**मद क्रमांक 3**

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ भवन नई दिल्ली में आर.ओ. सिस्टम क्रय करने हेतु राशि रूपये 11.05 लाख का व्यय संभावित है । यह राशि विभागीय बचत से की जायेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

राज्य शासन के निर्णयानुसार मान. मुख्यमंत्री जी के कार्यालय निवास के उपयोग हेतु कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं स्केनर मशीन क्रय हेतु राशि रूपये 2.46 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2055**

**मद क्रमांक 5-6**

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सी,आई,डी एकानामिक ऑफिसेस अंतर्गत पेट्रोल,तेल एवं मोटर अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रूपये 2,00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 7-13**

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि एन्टीकरप्शन ब्यूरो अंतर्गत मदनूरी दूरभाष, पुस्तके, बिजली एवं जल प्रभार पेट्रोल आदि पर राशि रूपये 3.61 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।